प्रकरण संख्या 16/2019 2019/00123 ता0 रजू 16.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

कमल मीणा पुत्र रामधन जाति मीणा आयु 52 निवासी पहाडपुरा ग्रम पंचायत जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी आदेश निर्णय दिनांक 08.05.2019 जिला रसद अधिकारी करौली प्रकरण संख्या 215/2019 उनवानी सरकार बनाम कमल मीना

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा दिनांक 19.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। उपभोक्ताओं से पूछताछ एवं जांच के दौरान तीन–चार साल से केरोसीन का वितरण नहीं करना, अन्त्योदय परिवारों को 2 साल से चीनी का वितरण नहीं करना, पोश मशीन की पर्ची नहीं देना, दो माह का ऑनलाइन वितरण दर्शाया जाकर एक माह का गेंहूं ही उपभोक्ताओं को देना, 3.40 क्विं. गेंहूं, 131.5 लीटर केरोसीन तथा 102 किलो चीनी का दुरुपयोग करना पाया जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 08.05.2019 कानून के विपरीत दिया है जो काबिले मन्सूख है। अदालत मातहत ने गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया है उक्त पत्रावली का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है प्रवर्तन निरीक्षक नादौती व श्रीमति सुनीता मीणा प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा राशन दुकान उचित मूल्य ग्राम पंचायत जोडली भाग 1/2 का निरीक्षण 19.01.2019 को करना बताया है जो बिल्कुल गलत है। दोनो ही प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलाण्ट की राशन की दुकान का मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया ना ही राशन सामग्री गेंहू, केरोसीन व चीनी के स्टॉक की कोई नाप–तौल की ना ही उसका किसी प्रकार का सत्यापन किया और मनमाने तरीके से सोच–विचारकर राजनैतिक नेताओं के दबाब में आकर झूठी जांच रिपोर्ट अदालत मातहत को पेश की गयी जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर नहीं फरमाया और अपीलाण्ट के राशन डीलर प्राधिकार पत्र को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय कानून के विपरीत दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट राशन डीलर हमेशा दुकान समय–समय पर राशन सामग्री सारी स्वीकृति दुकान के अंदर रखी रहती है। निरीक्षक महोदय ने उक्त राशन सामग्री को नही तोला ना ही केरोसीन की नाप की और झूठी कमियां निकालकर राशन सामग्री वितरण का उल्लंघन दिखाकर झूठे तथ्यों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय दिया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने पोश मशीन से सारे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री गेंहू, चीनी, केरोसीन वितरण किया है जिसने दो बार

जिला कलक्टर
करौली

लिया है उस पर दो बार अंगूठा लगवाये गये है और जिसने एक बार लिया है उससे एक बार अंगूठा लगवाया है। ग्राम में अपीलाण्ट की कुछ गांव वालो से आपसी रंजिश थी इस कारण झूठे अपीलाण्ट के खिलाफ बयानात दिये गये है। अपीलाण्ट ने सही प्रकार से राशन सामग्री का वितरण किया है तथा पोश मशीन की पर्ची रसीद भी उपभोक्ता को सामान लेने पर दी है। अपीलाण्ट ने कोई भी खाद्य वितरण में अनियमिततायें व फर्जीवाडा नहीं किया है। निर्णय कानून के विपरीत दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक नादौती व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 19.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। उचित मूल्य दुकान अपीलार्थी के स्वयं के मकान में स्थित पायी गई। अपीलार्थी उपस्थित था। भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 44 किलो चीनी, 51.20 क्विं. गेंहूं व 150 लीटर केरोसीन पाया गया। गांव के सार्वजनिक स्थल (अथाई) पर पूछताछ करने पर गांव वालों ने अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 3–4 साल से केरोसीन का वितरण नहीं होना, अन्त्योदय परिवारों को 2 साल से चीनी का वितरण नहीं होना, शिकायत करने पर एफ.आई.आर. करने की धमकी देना तथा मोबाइल पर आने वाले संदेशों को गलत बताया जाना बताया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत राशनकार्डों में राशन सामग्री के वितरण के इन्द्राज एवं ऑनलाइन वितरण की जांच करने पर राशनकार्डों में दोहरी प्रविष्ठि पाई गई अर्थात् ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट में दो बार ट्रांजैक्शन जबकि राशनकार्डों में राशन सामग्री का एक ही बार इन्द्राज कर डीलर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं से एक माह में एक से अधिक बार फर्जी अंगूठे लगवाये जाकर 3.40 क्विं. गेंहूं, 111 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट से अपीलार्थी राशन डीलर की ऑडिट किये जाने पर दिनांक 01.01.2018 को प्रारंभिक स्टॉक 1.02 क्विं. चीनी एवं वक्त जांच तक आमद 3 क्विं. चीनी सहित कुल 4.02 क्विं. चीनी में से 2.56 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 1.46 क्विं. चीनी शेष होनी चाहिये थी जबकि वक्त जांच 44 किलोग्राम चीनी ही पायी गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 का प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं वक्त जांच तक आमद 11950 लीटर केरोसीन सहित कुल 11950 लीटर केरोसीन में से 11779.5 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 170.5 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था जबकि मौके पर 150 लीटर केरोसीन ही पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कुल 3.40 क्विं. गेंहूं, 131.5 लीटर केरोसीन एवं 1.02 क्विं. चीनी का दुरुपयोग किया गया है जिसके कारण अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गांव के सार्वजनिक स्थल (अथाई) पर लिये गये उपभोक्ताओं के बयानों एवं मौके पर प्रस्तुत 12 राशनकार्डों में वितरित राशन सामग्री के इन्द्राज व ऑनलांइन वितरण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उक्त 12 राशनकार्डों में उपभोक्ताओं से पोश मशीन पर एक से अधिक बार एक माह में दो बार अंगूठे लगवाये जाकर दो माह का ऑनलाइन वितरण किया गया है जबकि राशनकार्ड में एक माह का ही इन्द्राज किया गया है एवं एक माह के राशन का दुरुपयोग किया गया है जिनमें कुल 3.40 क्विं. गेंहूं व 111 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया है। अपीलार्थी की दुकान में स्थित स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने व कार्यालय में

जिला कलक्टर
करौली

उपलब्ध रिकॉर्ड तथा ऑनलाइन वितरण की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करने पर पाया कि वक्त जांच अपीलार्थी की राशन दुकान पर 170.5 लीटर केरोसीन एवं 1.46 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी जिसकी अपेक्षा 00(शून्य) लीटर केरोसीन व 44 किलो चीनी पायी गई। इस प्रकार 20.5 लीटर केरोसीन एवं 1.02 क्विं. चीनी कम थी। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कुल 3.40 क्विं. गेंहूं, 131.5 लीटर केरोसीन व 1.02 क्विं. चीनी का दुरुपयोग किया गया है जो कि गंभीर अनियमितता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपीलार्थी राशन डीलर ने एक से अधिक बार एक माह में दो माह का ऑनलाइन वितरण दर्शाता है जबकि उपभोक्ताओं को एक माह का ही राशन देता है। इन 12 राशनकार्डों के अतिरिक्त अन्य राशनकार्डों में भी उपभोक्ता द्वारा ऐसा किया जाना संभव है। यह गंभीर अनियमितता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ता है एवं गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की राज्य व केन्द्र सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाती है। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 08.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली